न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 134 / 2023

उनवान

1. इन्दा पुत्री श्री रामस्वरूप नि0 हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. कमला पत्नी श्री रामस्वरूप नि0 हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. देबी लाल पुत्र श्री रामस्वरूप नि0 हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. रेखा पुत्री श्री रामस्वरूप नि0 हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. राकेश पुत्र श्री रामस्वरूप नि0 हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।

––प्रार्थी

बनाम

1. भैरू लाल पुत्र श्री मांगी लाल लुहार नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. मोहनी देवी पत्नी श्री मांगी लाल लुहार नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. ईश्वर लाल पुत्र श्री मांगी लाल लुहार नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. सालगा पुत्र मेघा खाती नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. रामपाल पुत्र श्री रामा खाती नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. देबी लाल पुत्र श्री बंशी लाल खाती नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. गोवन्दि पुत्र श्री बंशी लाल खाती नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. गोपाल लाल पुत्र श्री भंवर लाल खाती नि0 बस स्टेण्ड हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. श्याम लाल पुत्र श्री मांगी लाल खाती नि0 रावले के सामने हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
10. कालू लाल पुत्र श्री बरदू उर्फ सोहन लाल खाती नि0 तहसील के पास हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
11. कन्हैया लाल पुत्र श्री बरदू उर्फ सोहन लाल खाती नि0 तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
12. भंवर लाल पुत्र श्री जमना लाल खाती नि0 तहसील के पास हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
13. गोकल पुत्र श्री जमना लाल खाती नि0 तहसील के पास, हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवडा(राज.)
14. राजेन्द्र पुत्र श्री बंशी लाल उर्फ लाला कुमावत नि0 रेलवे स्टेशन हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा
15. मुकेश पुत्र श्री बंशी लाल उर्फ लाल कुमावत नि0 रेलवे स्टेशन, हमीरगढ जिला भीलवाडा।
16. दिनेश कुमार शर्मा पुत्र बंशी लाल शर्मा तह0 के सामने हमीरगढ जिला भीलवाडा।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूँ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 06.09.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम हमीरगढ प.ह. हमीरगढ प्रथम भू.अ.नि. हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 491 की आ.न. 1363 रकबा 0.2150है0, आ.न. 1364 रकबा 0.8852है0, कुल किता 02 कुल रकबा 1.1002 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13.09.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 3 व 6 से [illegible] विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्याय[illegible] में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 4,5 अदम तामील [illegible] पर अधि[illegible] प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 4,5 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया । प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 3 क[illegible] डिलीट / विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2025.07.01 15:35:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

Scanned with OKEN Scanner

का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्त्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम हमीरगढ प.ह. हमीरगढ प्रथम भू.अ.नि. हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 491 की आ.न. 1363 रकबा 0.2150है0, आ.न. 1364 रकबा 0.8852है0, कुल किता 02 कुल रकबा 1.1002 है0 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/–पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 09.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2025.07.01 15:35:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner